हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1971[1]

(1971 का अधिनियम संख्यांक 7)

[18 मई, 1971]

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1971
(1971 का अधिनियम संख्यांक 7)
[18 मई, 1971]

भारत सरकार या संविधान की पहली अनूसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य सरकार के अधीन कतिपय लाभ के पदों को उनके धारकों को हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित न करने की घोषणा करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा निम्नलिखित अधिनियमित करती है, अर्थात् :---

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1971 है ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं--- इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,---

(क) "प्रतिकर भत्ते" से अभिप्रेत है ऐसी धनराशि जो सरकार किसी पद धारक को अपने पद के कृत्यों के [2]*** निष्पादन के प्रयोजनार्थ यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, बैठक भत्ते, वाहन भत्ते या मकान किराया भत्ते के रूप में संदेय रूप में अवधारित करे ;

(ख) "कानूनी निकाय" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन स्थापित कोई निगम, समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड या व्यक्तियों का अन्य निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, अभिप्रेत है ;

(ग) "अकानूनी निकाय" से कानूनी निकाय से भिन्न व्यक्तियों का कोई निकाय अभिप्रेत है ।

3. हिमाचल प्रदेश विधान सभा की सदस्यता के लिए निरर्हता का हटाना---कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश विधान सभा का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए केवल इस तथ्य के कारण ही निरर्हित नहीं होगा कि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के निम्नलिखित पदों में से कोई भी पद धारण करता है :---

(क) उपमंत्री या राज्यमंत्री का पद ;

(ख) किसी मंत्री, राज्यमंत्री या उपमंत्री द्वारा धृत कोई पद चाहे पदेन हो या केवल नाम में ;

(ग) हिमाचल प्रदेश विधान सभा या संसद् या किसी अन्य राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद ;

(घ) मुख्य संसदीय सचिव या संसदीय सचिव का पद ;

(ङ) किसी विधान सभा या संसद् में मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक या सचेतक का पद ;

(च) ग्रामीण राजस्व अधिकारी का पद चाहे वह लंबरदार, मालगुजार, पटेल, देशमुख या किसी अन्य नाम से पुकारा जाए जिसका कर्तव्य भू-राजस्व का संग्रह करना है और जिसे पारिश्रमिक के रूप में उसके द्वारा संगृहीत भू-राजस्व की रकम का एक अंश या कमीशन मिलता है किंतु वह पुलिस का कोई कृत्य नहीं करता है ;

(छ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन राष्ट्रीय कोर, प्रादेशिक सेना, वायु रक्षा रिजर्व और सहायक वायु सेना का कोई पद ;

(ज) किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी होम गार्ड के सदस्य का पद ;

(झ) किसी विश्वविद्यालय या किसी विश्वविद्यालय से संबंधित किसी निकाय के सिंडिकेट, सिनेट, कार्यकारी समिति, परिषद् या सभा के अध्यक्ष या सदस्य का पद ;

(ञ) किसी विश्वविद्यालय के उप कुलपति का पद ;

---

[1] हिमाचल प्रदेश के असाधारण राजपत्र में 18-5-1971 को प्रकाशित ।

[2] 1981 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं0 15 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया ।

(ट) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा भारत के बाहर या हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उक्त राज्य के बाहर किसी विशेष प्रयोजनार्थ भेजे गए किसी प्रतिनिधि मंडल या मिशन के सदस्य का पद ;

(ठ) सरकार को सलाह देने के प्रयोजनार्थ या लोक महत्व के किसी मामले की बाबत किसी अन्य प्राधिकरण अथवा ऐसे किसी विषय की बाबत जांच करने या आंकड़े एकत्रित करने के प्रयोजनार्थ अस्थायी रूप से बनाई गई किसी समिति (एक या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी) के अध्यक्ष या सदस्य का पद यदि उक्त पद धारक प्रतिकर भत्ते से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार नहीं है ;

(ड) खंड (ठ) में निर्दिष्ट किसी निकाय से भिन्न किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, निदेशक या सदस्य का पद यदि उस पद का धारक प्रतिकर भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है ;

(ढ) सरकारी प्रबंध के अधीन किसी अस्पताल में किसी अवैतनिक चिकित्सा अधिकारी या अवैतनिक सहायक चिकित्सा अधिकारी का पद ;

(ण) ऐसा व्यक्ति जो अपनी जागीर, इनाम या अन्य अनुदान की बाबत अपनी सेवा पेंशन, राजनैतिक पेंशन या अनुदान, मनसब, पूर्त अनुदान या प्रतिकर की संराशित राशि ले रहा है ;

(त) राष्ट्रीय योजना प्रमाणपत्र या किसी अन्य बचत प्रमाणपत्र या केंद्रीय सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करने या केंद्रीय सरकार द्वारा नियत कमीशन के लिए या बिना कमीशन के अभिदाय एकत्रित करने के प्रयोजनार्थ किसी अभिकर्ता का पद या वैसा ही कोई अन्य पद ;

(थ) केंद्रीय या राज्य सरकार अथवा संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा धृत किसी परीक्षा के लिए परीक्षक का पद ;

(द) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सरपंच या पंचायत के सदस्य का पद ;

[1][(ध) इस धारा के खंड (ठ) और (ड) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार द्वारा नियुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद अथवा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गठित हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष का पद ।]

4. अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् उत्पन्न होने वाले प्रश्न का अवधारण---इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद के लाभ का पद होने के संबंध में उत्पन्न कोई प्रश्न इस प्रकार अवधारित किया जाएगा जैसे कि इस अधिनियम के उपबंध सभी तात्विक तारीखों को प्रवृत्त थे ।

5. निरसन और व्यावृत्ति---हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरर्हता हटाना) अध्यादेश, 1971 इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्वोक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार की गई समझी जाएगी जैसे कि यह अधिनियम 25 जनवरी, 1971 को प्रारंभ हुआ हो ।

---

[1] 1979 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं0 8 द्वारा अंतःस्थापित और तत्पश्चात् 1979 के अधिनियम सं0 26 और 1981 के अधिनियम सं0 7 द्वारा संशोधन किया गया ।